(53)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

विलम्पित

R 1114–II–17

श्री [illegible] द्वारा आज दि. 10-4-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

देवी प्रसाद गुप्ता तनय श्री रामकृपाल गुप्ता, उम्र– वर्ष, पेशा– खेती, निवासी ग्राम– कोतरकला, तह0– गोपदबनास, जिला– सीधी (म.प्र.)

————— आवेदक

बनाम

1. किरण पाठक पुत्री गदाधर प्रसाद शर्मा निवासी ग्राम– धानी, तह0– चितरंगी, जिला– सिंगरौली (म.प्र.) हाल मुकाम निवासी ग्राम– कोतरकला, तह0– गोपदबनास, जिला– सीधी (म.प्र.)
2. ज्ञानेन्द्र गुप्ता तनय जयपति प्रसाद गुप्ता उम्र– 35 वर्ष, पेशा– खेती, निवासी ग्राम– कोतरकला, तह0– गोपदबनास, जिला– सीधी (म.प्र.)
3. धीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता तनय श्री जयपति प्रसाद गुप्ता, उम्र– 30 वर्ष, पेशा– खेती, निवासी ग्राम– कोतरकला, तह0– गोपदबनास, जिला– सीधी (म.प्र.)
4. जयपति प्रसाद गुप्ता तनय हरीदास बानी उम्र– 60 वर्ष, पेशा– खेती, निवासी ग्राम– कोतरकला, तह0– गोपदबनास, जिला– सीधी (म.प्र.)
5. दिनेश प्रसाद गुप्ता तनय श्री विन्ध्यबासनी बानी उम्र– 30 वर्ष, पेशा– खेती, निवासी ग्राम– कोतरकला, तह0– गोपदबनास, जिला– सीधी (म.प्र.)
6. सुनील सिंह तनय समरजीत सिंह बाघेल, निवासी ग्राम– बंजारी, तह0– गोपदबनास, जिला– सीधी (म.प्र.)

————— अनावेदकगण

न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तह0– गोपदबनास, जिला– सीधी (म.प्र.) के राजस्व प्रकरण क्रमांक– 38/अ–5/2005–06 में

1

पारित आदेश दिनांक– 24.08.2006 के विरूद्ध म0प्र0 भू– राजस्व संहिता 1959 की धारा– 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है:–

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधि प्रक्रिया एवं न्याय सिद्धान्त के प्रतिकूल है।

2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने उत्तरवादी क्रमांक– 1 के स्वामित्व की आवेदित भूमि के साथ ही अन्य भूमिस्वामियों के स्वामित्व की भूमियों का भी प्लाट तर्मीम अपने प्रश्नगत आदेश द्वारा आदेशित किया है जो विधि एवं न्याय की दृष्टि से अनुचित है।

3. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित किये जाने के पूर्व आदेश से हितबद्ध अन्य भूमिस्वामियों को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है तथा अपीलार्थी सहित अन्य सीमावर्ती भूमिस्वामियों को भी सूचित कर पक्ष समर्थन का अवसर प्रदान नहीं किया गया है जिस दशा में अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश नैसर्गिक न्याय सिद्धान्तों के प्रतिकूल एवं एकपक्षीय है।

4. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश द्वारा आराजी नंबर– 21/7 स्थित ग्राम– कोतरकला का तर्मीमशुदा प्लाट अभिलेखों में दर्ज भूमिस्वामित्व से अधिक भू–क्षेत्र का निर्मित किया गया है। जिससे सीमावर्ती भूमिस्वामी अपीलार्थी के स्वत्व में कमी आई है। किन्तु उपरोक्त तथ्यों पर न्यायिक दृष्टि से कोई विचार किये बिना आलोच्य आदेश पारित कर कानूनी भूल की है जो किसी भी स्थिति में स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश के प्रभाव में तर्मीमशुदा भूमि खसरा नंबर– 21/7 के भूमिस्वामी उत्तरवादी क्रमांक– 6 एवं खसरा नंबर– 21/2 की भूमिस्वामी उत्तरवादी क्रमांक– 1 ने अपने स्वामित्व की भूमियां बिक्री कर दिया है और क्रेतागण निरन्तर उक्त भूमियों की बिक्री अब तक करते जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में सभी संबंधित क्रेतागण को आवश्यक पक्षकार की तरह बतौर उत्तरवादीगण प्रकरण में संयोजित किया गया है जो ग्राम– कोतरकला स्थित भूमि खसरा नंबर– 21/मिन–7, 21/2, 21/1, 21/4/2, 21/5/2, 21/4मिन–1/21/5/1, 21/5/3, 21/6, 21/2/मिन–1 एवं 21/1/क मिन–1 के भूमिस्वामीगण हैं।

XXIX(a)-BR(H)-11 (53)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1114-दो/17 **जिला** - सीधी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15/04/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार गोपदबनास के प्रकरण क्र. 38/अ-5/2005-06 में पारित आदेश दिनांक 24.08.2006 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 28.06.2019 को कलेक्टर, जिला सीधी के समक्ष उपस्थित हों। (बी.एम. शर्मा) सदस्य	